न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–75/2013 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री सगरू,
2. गिर्राज पुत्र स्व0 श्री सगरू,
3. रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री सगरू,
4. नन्नूराम पुत्र स्व0 श्री सगरू समस्त जातियान चमार समस्त निवासीयान ग्राम सैंथली तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ जिला अलवर राज0।

.....असल रेस्पो0

2. किशनीबाई पुत्री स्व0 श्री सगरू पत्नि यादराम जाति चमार निवासी ग्राम नगर तहसील नगर जिला भरतपुर राज0।

.....तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका, पैरोकार सरकार ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.02.2020

यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर रामगढ के निर्णय दिनांक 30.09.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटान द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर रामगढ जिला अलवर में इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 328 रकबा 1 बीघाा 17 बिस्वा हाल खसरा नंबर 141 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम सैंथली तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 में है कि उक्त आराजी मुतनाजा हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता सगरू पुत्र जुम्मा चमार को राज्य सरकार द्वारा काश्त हेतु अलोट की गई थी कि जिससे प्रश्नगत आराजीयात की बाबत सगरू पुत्र जुम्मा को गैरखातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता सगरू प्रश्नगत आराजी पर काबिज दाखिल होकर अपने जीवनकाल तक काश्त

82/

करते रहे जिसके समर्थन में खसरा गिरदावरी संवत 2023–2026 व 2028–2030 व जमाबंदी संवत 2029 बंदोबस्त संलग्न है। वादीगण के पिता सगरू का स्वर्गवास हो चुका है कि जिस पर हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 प्रश्नगत आराजी की बाबत विरासत इंतकाल संख्या 1200 दिनांक 05.01.2002 को तहसीलदार रामगढ द्वारा स्वीकार किया गया कि जिससे प्रश्नगत आराजी में हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का समान हिस्सा है। हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 प्रश्नगत आराजी पर अपने पिता सगरू के जीवनकाल से व उनकी मृत्यु पश्चात काबिज दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।जिससे हमको प्रश्नगत आराजी की बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। हम वादीगण ने दिनांक 08.11.2010 को असल प्रतिवादी संख्या 1 के यहां जाकर खातेदारी दर्ज करने हेतु निवेदन किया कि जिस पर असल प्रतिवादी संख्या 1 ने कतई इनकार कर दिया आदि आदि पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2013 को आदेश पारित कर वाद खारिज फरमा दिया। जिस निर्णय दिनांक 30.09.2013 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने मौखिक बहस में दावे के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि उक्त प्रश्नगत आराजी अपीलांटान के पिता सगरू को आवंटनशुदा आराजी थी और उक्त आवंटित आराजी पर उनके जीवनकाल के दौरान अपीलांटान के पिता सगरू व उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांटान उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस कारण अपीलांटान को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार के मैनर आफ अप्रोच से उक्त आदेश पारित किया है तथा केवल मात्र यह कहते हुये अपीलांटान का वाद खारिज किया है कि वादी का वाद साबिक रिकार्ड से सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में साबिक रिकार्ड सिद्ध न होने का कोई कारण अंकित नही किया है कि जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निर्णय की तारीफ में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटान के वाद पत्र के साथ प्रस्तुत साबिक राजस्व अभिलेख का भी कोई अवलोकन नही किया और जबकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र की ताईद में अपना शपथपत्र भी प्रस्तुत किया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश कतई विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर रामगढ का आदेश दिनांक 30.09.2013 मंसूख किया जावे तथा अपीलांटान को साबिक आराजी खसरा नंबर 328 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नंबर 141 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम सैंथली तहसील रामगढ का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जबाव बहस में सरकार पैरोकार का कथन है कि विवादित आराजीयात बंजड भूमि है, आवंटन आदेश नही है, कब्जा भी नही है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान सहायक कलेक्टर रामगढ के निर्णय दिनांक 30.09.2013 का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2011 में तनकीयात कायम की गई। पत्रावली पर मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2036 खसरा गिरदावरी संवत 2023 एवं अन्य आगे की,नामान्तरण, भू प्रबंध विभाग जमाबंदी खेवट खतौनी 2018 उपलब्ध है। स्पष्ट है कि पत्रावली पर वाद विनिश्चय करने हेतु पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक की रचना किये जाने के बाद, साक्ष्य लिये बिना, तनकीवार निर्णय नही करते हुये उक्त आदेश पारित किया गया है, जो निर्णय की तारीफ में नही आता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत सहायक कलेक्टर अलवर के आदेश फर्द अहकाम दिनांक 30.09.2013 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विवाद्यकों की रचना, साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये गुणावगुण पर पुनः तनकीवार अपना निर्णय पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय में दि0 27.03.2020 को उपस्थित हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2000 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.2.2020

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर